



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2014/फाल्गुन 1, 1935

No. 411]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014/PHALGUNA 1, 1935

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2014

New Delhi, the 19th February, 2014

का.आ. 491(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11-ए के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेंट, कोयला गैसीकरण (भूमिगत और भूतल) और कोयला द्रवीकरण के माध्यम से अभिप्राप्त सायन-गैस के उत्पादन को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम उपयोग विनिर्दिष्ट करती है।

S.O. 491(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of Section 11 A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby specifies production of cement, syn-gas obtained through coal gasification (underground and surface) and coal liquefaction to be end uses for the purpose of the said Act.

[फा. सं. 12012/1/2014-सीए-III]

[F. No. 12012/1/2014-CA-III]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

A. K. BHALLA, Jt. Secy.